

प्रपत्र - एम.एम. 10
खनन अनुज्ञा पत्र का आदर्श प्रपत्र (नियम 55)

श्री/सर्वश्री को उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम 52 के अधीन ग्राम में (खनिज) का खनन करने के लिये अनुज्ञा-पत्र देने के निमित्त प्रार्थना-पत्र दिया है और 400 (चार सौ) रुपये का प्रार्थना-पत्र शुल्क तथा रुपये प्रतिटन/घन फुट की दर से स्वामित्व का भी रुपया अग्रिम भुगतान कर दिया है। एतद्वारा नीचे उल्लिखित भूमि से टन/घन फुट खनिज को, आज से मास की अवधि के भीतर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुये हटाने की अनुज्ञा दी जाती है।

भूमि के ब्यौरे

तहसील	परगना	ग्राम	गाटा (प्लॉट) संख्या	एकड़ों में क्षेत्रफल
1	2	3	4	5

- स्थान : अनुज्ञा-पत्र देने वाले अधिकारी
दिनांक : के हस्ताक्षर और उसका पदनाम।
शर्त :-
- (1) अनुज्ञा-पत्र धारक, राज्य सरकार को किसी तीसरे पक्ष के दावे की क्षतिपूर्ति करता रहेगा और इस प्रकार के दावे को उसके उत्पन्न होते ही स्वयं निश्चित करेगा।
 - (2) अनुज्ञा-पत्र धारक ऐसी रीति से खनिज निकालेगा जिससे कोई सड़क, सार्वजनिक मार्ग, भवन, भू-गृहादि, सार्वजनिक भू-स्थल या सार्वजनिक सम्पत्ति पर कोई बाधा न पड़े, या उसे क्षति न पहुंचे।
 - (3) अनुज्ञा-पत्र धारक संग्रह किये गये सभी खनिजों का लेखा रखेगा और एतदर्थ प्रतिनियुक्त प्राधिकारी को ऐसे लेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।

दिनांक : अनुज्ञा-पत्र देने वाले अधिकारी के
हस्ताक्षर और उसका पदनाम।